SHAHARI WAQF SAMPATTI VIKAS YOJANA

[Former Scheme for Grants-in-aid to Waqf - Development of Urban Waqf Properties]

(CONTINUATION FOR THE PERIOD 2017-18 TO 2019-20)

सत्यमेव जयते

Government of India
Ministry of Minority Affairs

DECEMBER 2017

SHAHARI WAQF SAMPATTI VIKAS YOJANA*

[Former Scheme for Grants-in-aid to Waqf - Development of Urban Waqf Properties]Background

1.1 Waqfs are permanent dedication of movable or immovable properties by any person for purposes recognized by the Muslim Law as pious, religious or charitable. Apart from their religious aspect, the waqfs are also instruments of social good as the benefits accrue to the needy in social-economic and educational fields.

1.2 For a variety of reasons, the majority of auqaf in the country have limited income. The result is that generally the Mutawallis (Managers of auqaf) find it difficult to adequately fulfill the purposes for which these auqaf are created or intended. Most of the urban waqf lands have the potential for development but the Mutawallis and even the Waqf Boards are not in a position to muster enough resources for construction of modern functional buildings on these lands.

2. Objective

2.1 With a view to improving the financial position of the auqaf and the Waqf Boards and to enable them to enlarge the area of their welfare work, this yojana has been formulated with a view to protect vacant Waqf land from encroachers and to develop economically viable projects on these properties for generating more income and /or to widen welfare activities.

2.2 Under the yojana, interest free loan is advanced to various Waqf Boards and Waqf Institutions in the country for construction of economically viable buildings on the Waqf land, such as commercial complex, marriage halls, hospitals, cold storage etc.

3. Need for modification/continuation of the existing yojana

3.1 The Central Waqf Council has been implementing this scheme since 1974-75 with the annual Grant in aid provided by the Ministry of Minority Affairs. Under the scheme, the Central Government has released a total grant-in-aid amounting to Rs.52.37 crore between September 1974 to March, 2017

[* Except name, no other changes have been made in the contents of the former scheme.]

and in turn the Central Waqf Council has extended interest free loan to 143 projects.

3.2 The implementation of the above scheme was reviewed with the State Governments and State Waqf Boards on 7.1.2017. Thereafter, the scheme was got evaluated through National Institute of Labour Economics Research & Development (NILERD), New Delhi. Among other recommendations, NILERD was of the view that the above Yojana needs to be continued at least for ten years more so that adequate number of waqf properties could be developed.

3.2 Based on the feedback received from the States and findings of the evaluation study done by NILERD on the existing scheme, it has been decided to continue the scheme by incorporating the feedback received and recommendations made by NILERD, the details of which are given in the succeeding paras.

4. Scope, Eligibility & Finance

4.1 The Central Waqf Council (CWC) would continue to be the implementing agency of this yojana and they would extend interest free loan assistance to State Waqf Boards (SWBs) / waqf institutions for specific development projects approved by CWC. These projects involve construction or reconstruction of economically viable buildings or projects on waqf lands. The augmented income will be utilized by SWBs/ waqf institutions to strengthen their financial position and to widen the scope of their welfare and charitable activities. The whole purpose is intended to contribute to overall progress and development of the society.

4.2 Loan under this Yojana will be provided for development of a waqf property situated in an Urban area. Urban Area means a property situated in any area, which is comprised within the jurisdiction of a Municipality (whether known as Municipality, Municipal Corporation, Notified Area Committee, Town Area Committee, Town Committee or by any other name) Cantonment Board and include any area within such distance not being more than 8 kilometers from the local limits of any Municipality or Cantonment Board as the Central/State Government may, having regard to the extent or scope for urbanization of that area and other relevant consideration, specify in this behalf by notification in the Official Gazette.

4.3 All SWBs/ registered waqf institutions, which are in full possession of property to be developed and in the opinion of CWC are not insolvent or otherwise suitable, shall be eligible for interest free loan. Maximum interest free loan payable will be Rs.2.00 crore or 75% of the estimated cost of the project (excluding the value of the land) , whichever is less.

5. Mode of application

Every SWB or Mutawalli of a waqf requiring an interest free loan shall submit the proposal in the prescribed application form . CWC will also develop a Web Portal containing details of not only process of submission of online applications but also indicating details relating to status of processing of applications, details of project sanctioned, funds released, target date of completion, monitoring of project by Project Development Committee, physical progress of the project alongwith site photos/video from the inspecting team; loan installment received, etc.

6. Processing of the applications and disbursal of loan:

The procedure for processing the loan applications received by CWC will be as below :

(i) The applications will be considered by the Waqf Development Committee of CWC and will give its recommendation on each application. The recommendations made by the Committee will be considered in the meeting of CWC and further action to be taken as per decision of CWC;

(ii) CWC will release the approved loan amount in installments. First installment upto 50% of the loan amount will be released initially and remaining loan amount will be released in appropriate instalments after receipt of UC and satisfactory progress report from the concerned boards;

(iii) For approved projects, SWBs/ waqf institutions will also be required to submit loan agreement. Security for obtaining loans will be furnished through memorandum of Deposit of Title Deed OR State Government Guarantee OR Bank Guarantee OR State Waqf Board Guarantee; and

(iv) For all the approved projects, CWC will levy 8% of disbursed loan amount towards administrative processing cost and the above amount will have to be deposited in advance by SWB/ waqf institution before loan amount is released.

7. Release of funds

The Ministry of Minority Affairs will release grants-in-aid to CWC in two instalments. While the first instalment of 50% will be released initially, the second instalment will be released on the basis of the approved projects for which loan of more than Rs.75.00 lakh has been sanctioned. On receipt of grants-in-aid, CWC will release loan to concerned SWBs/ waqf institutions after following due procedure and guidelines under GFRs. The Utilization Certificates will be forwarded to this Ministry by the CWC in the format provided in the GFR. For smaller projects of loan upto Rs.75.00 lakhs, CWC will release loan from their Revolving Fund.

8. Monitoring of approved projects

8.1 The SWB, for its projects shall obtain the sanction of the State Govt. under Section 75 and constitute a Project Development Committee (PDC) with the approval of the State Government. For the projects of waqf institutions, PDC will be appointed with the approval of SWB with intimation to the CWC. PDC will consist of (i) a nominee of the Waqf Board; (ii) a prominent Muslim of the locality; (iii) Mutawalli of the waqf concerned; and (iv) two experts – one from the field of Architecture/Engineering and one from Finance/Administration. The meeting of the PDC shall be presided over by the Mutawalli of the waqf concerned or in the case of property under the direct control of Waqf Board , by the CEO of the Waqf Board or his nominee, as the case may be.

8.2 The amount of loan granted by the Central Waqf Council for the scheme shall be kept in a Bank account exclusively opened for this purpose in the name of the Project Development Committee. The drawing and disbursing authority would be jointly vested in two or more members of the Project Development Committee and none of whom would operate the account singly.

8.3 The CEO may replace any member of the Project Development Committee with the approval of the Board and under intimation to the CWC by nominating another in his place indicating reason for replacement.

8.4 The accounts of the Project Development Committee shall be audited at the close of the month of March every year by a qualified auditor or by a Charted Accountant and a copy of the audited accounts shall be furnished to the Board and the CWC not later that 31st May of every year.

8.5 If any default in repayment of loan or defalcation of funds or wasteful expenditure is reported by the auditor or comes otherwise to the notice of the CWC, action as permitted under sub-conditions 10.4 and 10.5 of condition 10 will be initiated by CWC.

8.6 The CWC may at any time, if considered necessary, order an inspection of the account of the Project Development Committee or the Board or both, and may depute any member or members of the CWC or its Secretary or any other competent person to carry out such inspection or may direct the State Government to order such inspection.

8.7 The CWC may give such direction to the Project Development Committee as, in its opinion, is necessary for the proper utilization of the funds, and such direction shall be deemed to be part of the agreement.

9. Time for completion of project

9.1 Every project for which a loan is advanced shall be completed within such time as may be stipulated in each case.

9.2 If the proposed project is not completed within the stipulated time, the CWC, may, if considered justified, extend the period at its discretion.

(Explanation: For the purpose of this condition completion of Project would mean utilization of the loan installment of loan advanced i.e., within three years from the date of release of the loan installment.)

9.3 If no time is extended, or if the extended time has also expired without the project being completed, the CWC may impose a penalty or payment of a sum of money not more than 4% per annum on the balance of the loan unpaid. CWC may also initiate action for the recovery of the loan as provided under Sub-conditions 10.4 and 10.5 of condition 10 , provided the CWC may exempt any loanee from the levy of penalty or waive the penalty imposed if necessary depending on the circumstances of the case.

10. Terms of repayment of loan

10.1 The loan shall be ordinarily repayable to the CWC in sixteeen half-yearly installments, with the moratorium of one year after the final installment of loan is disbursed.

10.2 The loanee concerned shall, as a measure of mutual regard for the furtherance of the objectives of Waqfs in general, pay administrative processing cost to the CWC @ 8% of the loan amount before it is released.

10.3 The CWC may extend the time for the payment of installment due if considered necessary in the circumstances on any case.

10.4 In case three consecutive installments of repayment of the loan fall in arrears, CWC may, after giving notice to the borrowers to pay due installment of principal amount within a period of 30 days of the date of receipt of such notice by the borrowers, declare that the entire balance amount of the principal loan due thereon has become repayable in one lump sum.

10.5 After the expiry of the period of the final notice under sub-condition 10.4, the CWC may proceed to take action for recovery of the loan amount as per the loan agreement or take such other action as it may propose for the recovery.

11. Implementation of the Yojana

11.1 The Project shall be implemented strictly in accordance with the plan approved by a qualified Architect/Engineer/expert.

11.2 No deviation from the approved plan shall be made without the prior sanction of the CWC.

12. Utilization of additional income accruing from the Yojana

12.1 To ensure proper utilization of the additional income from the developed Waqf property, the Mutawalli in consultation with the Board or the Board concerned as the case may be, shall prepare a scheme for such utilization and submit it to the CWC for approval.

12.2 The scheme under sub-condition 12.1 above shall be based on the following requirement:-

(i) The Mutawalli will continue to take for himself an amount equal to average amount he was getting as income from the property in the previous three years immediately before the date of the receipt of the first loan from the CWC.

(ii) The CWC may further sanction upto 50% of the additional income accruing from the developed property for being utilized for the purposes for which the Waqf was originally created.

(iii) The remaining additional income shall be spent after paying taxes, contribution, maintenance and administration charges, depreciation fund and audit fee, on such educational and social welfare activities as may be conductive to the betterment of the community.

12.3 After the yojana is approved by the CWC, it shall form part of the annual budget of the Waqf concerned till the yojana is altered or revised with the prior approval of the CWC.

13. Creation and utilization of revolving fund

The loan amount received by the CWC from SWBs/ Waqf Institutions shall form a Revolving Fund, which shall be accounted for under a separate head of account under the Waqf Fund. The Revolving Fund shall be utilized for the development of Urban Waqf Properties for which loan of upto Rs.75.00 lakh is approved.

14. Removal of difficulties

If any difficulty arises in giving effect to the provisions of these terms and conditions, the CWC may, with prior approval of the Ministry of Minority Affairs, by an order, make such provision not inconsistent with the purposes of these terms and conditions appear to be necessary or expedient for removing the difficulty.

******

शहरी वक्फ सम्पत्ति विकास योजना

[वक्फ को सहायता–अनुदान हेतु पूर्ववर्ती योजना–शहरी वक्फ सम्पत्तियों का विकास]

(2017–18 से 2019–20 की अवधि के लिए जारी रखना)

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

दिसंबर, 2017

शहरी वक्फ सम्पत्ति विकास योजना

[वक्फ को सहायता–अनुदान हेतु पूर्ववर्ती योजना–शहरी वक्फ सम्पत्तियों का विकास]

1. पृष्ठभूमि

1.1 वक्फ किसी व्यक्ति द्वारा चल अथवा अचल संपत्तियों का ऐसे प्रयोजनों के लिए स्थायी समर्पण है जो मुस्लिम कानून में पवित्र, धार्मिक या धर्मार्थ के रूप में माने गए हैं। उनके धार्मिक पहलू के अलावा वक्फ सामाजिक भलाई के साधन भी हैं क्योंकि जरूरतमंद व्यक्ति को लाभ सामाजिक–आर्थिक और शैक्षिक क्षेत्र में होते हैं।

1.2 अनेकों कारणों से देश में अधिकांश औकाफ की आय सीमित है। परिणाम यह है कि आमतौर पर मुतवल्लियों (औकाफ के प्रबंधक) को उन प्रयोजनों को समुचित रूप से पूरा करने में कठिनाई होती है जिनके लिए ये औकाफ सृजित किए जाते हैं या अभिप्रेत होते हैं अधिकांश शहरी वक्फ भूमियों में विकास की बहुत संभावना पड़ी है किन्तु मुतवल्ली और यहां तक कि वक्फ बोर्ड भी पर्याप्त संसाधन जुटाने अथवा इन भूमियों पर आधुनिक कार्यात्मक भवनों का निर्माण करने की स्थिति में नहीं है।

2. उद्देश्य

2.1 औकाफ तथा औकाफ बोर्डों की वित्तीय स्थिति को सुधारने और उन्हें अपने कल्याण संबंधी क्रियाकलापों का दायरा बढ़ाने में सक्षम बनाने के लिए यह योजना बनाई गई है ताकि खाली पड़ी वक्फ भूमि को अतिक्रमणकर्ताओं से बचाया जा सके और अधिक आय सृजित करने और/या कल्याणकारी क्रियाकलापों का दायरा बढ़ाने के लिए इन संपत्तियों पर आर्थिक रूप से व्यवहार्य परियोजनाएं विकसित की जा सकें।

2.2 वक्फ भूमि पर आर्थिक रूप से व्यवहार्य भवनों, जैसे वाणिज्यिक परिसर, विवाह मंडप, अस्पताल, कोल्ड स्टोरेज आदि के निर्माण के लिए इस योजना के अधीन देश में विभिन्न वक्फ बोर्डों और वक्फ संस्थानों को ब्याज मुक्त ऋण दिया जाता है।

3. मौजूदा योजना में परिशोधन/इसे जारी रखने की जरूरत

3.1 केन्द्रीय वक्फ परिषद इस योजना को अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा प्रदत्त वार्षिक सहायता–अनुदान के साथ 1974–75 से कार्यान्वित कर रही है। योजना के अधीन केन्द्र सरकार ने सितंबर, 1974 से मार्च, 2017 के बीच कुल 52.37 करोड़ रु. का सहायता–अनुदान जारी किया है और केन्द्रीय वक्फ परिषद ने 143 परियोजनाओं को ब्याज मुक्त ऋण दिया है।

[*नाम के अलावा पूर्ववर्ती योजना की विषय–वस्तु में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।]

3.2 उपर्युक्त योजना के कार्यान्वयन की राज्य सरकारों और राज्य वक्फ बोर्डों के साथ 07.01.2017 को समीक्षा की गई। तद्पश्चात, राष्ट्रीय श्रम अर्थशास्त्र अनुसंधान एवं विकास संस्थान (एनआईएलईआरडी), नई दिल्ली के द्वारा इस योजना का मूल्यांकन करवाया गया। अन्य सिफारिशों के साथ राष्ट्रीय श्रम अर्थशास्त्र अनुसंधान एवं विकास संस्थान (एनआईएलईआरडी) का मत था कि उपर्युक्त योजना को कम–से–कम 10 वर्ष और जारी रखने की जरूरत है ताकि पर्याप्त संख्या में वक्फ संपत्तियां विकसित की जा सकें।

3.3 राज्यों से प्राप्त फीडबैक और मौजूदा योजना के एनआईएलईआरडी द्वारा किए गए मूल्यांकन अध्ययन के निष्कर्षों के आधार पर प्राप्त फीडबैक और एनआईएलईआरडी द्वारा की गई सिफारिशों को शामिल करते हुए योजना को जारी रखने का निर्णय लिया गया है जिसका ब्यौरा अगले पैराओं में दिया गया है।

4. कार्यक्षेत्र, पात्रता और वित्त

4.1 केन्द्रीय वक्फ परिषद इस योजना की कार्यान्वयनकर्ता एजेंसी बनी रहेगी और वह सीडब्ल्यूसी द्वारा अनुमोदित विशिष्ट विकास परियोजनाओं के लिए राज्य वक्फ बोर्डों/वक्फ संस्थानों को ब्याज मुक्त ऋण सहायता देती रहेगी। इन परियोजनाओं में वक्फ भूमियों पर आर्थिक रूप से व्यवहार्य इमारतों या परियोजनाओं का निर्माण या पुनर्निर्माण शामिल है। बढ़ी हुई आय राज्य वक्फ बोर्डों/वक्फ संस्थानों द्वारा अपनी वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने और अपने कल्याणकारी तथा धर्मार्थ कार्याकलापों का दायरा बढ़ाने के लिए उपयोग की जाएगी। संपूर्ण प्रयोजन समाज की समग्र उन्नति और विकास में योगदान के लिए है।

4.2 इस योजना के अधीन ऋण किसी शहरी क्षेत्र में स्थित किसी वक्फ संपत्ति के विकास के लिए दिया जाएगा। शहरी क्षेत्र का अर्थ है किसी ऐसे क्षेत्र में स्थित संपत्ति जो किसी नगर पालिका (चाहे नगर पालिका, नगर निगम, अधिसूचित क्षेत्र समिति, नगर क्षेत्र समिति, नगर समिति या अन्य किसी नाम से जानी जाए) छावनी बोर्ड के क्षेत्राधिकार में स्थित हो और किसी नगर पालिका या छावनी बोर्ड की स्थानीय सीमाओं से आठ किलोमीटर से अनधिक दूरी के भीतर स्थित कोई क्षेत्र शामिल है जैसा कि केन्द्र/राज्य सरकार उस क्षेत्र के शहरीकरण की सीमा या गुंजाइश और अन्य संगत बातों का ध्यान रखते हुए शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस संबंध में विनिर्दिष्ट करे।

4.3 सभी राज्य वक्फ बोर्ड/पंजीकृत वक्फ संस्थान जिनका विकसित की जाने वाली संपत्ति पर पूर्ण कब्जा है और सीडब्ल्यूसी की राय में दिवालिया नहीं है या अन्यथा उपयुक्त हैं, ब्याज मुक्त ऋण के लिए पात्र होंगे। अधिकतम देय ब्याज मुक्त ऋण 2.00 करोड़ रु. या परियोजना की अनुमानित लागत का 75% (भूमि के मूल्य को छोड़कर), जो भी कम हो, होगा।

5. आवेदन का तरीका

ब्याज मुक्त ऋण चाहने वाला प्रत्येक राज्य वक्फ बोर्ड या किसी वक्फ का मुतवल्ली अपना प्रस्ताव निर्धारित आवेदन प्रपत्र में प्रस्तुत करेगा। केन्द्रीय वक्फ परिषद भी एक वेब पोर्टल विकसित करेगी जिसमें न केवल आनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया का ब्यौरा दिया जाएगा बल्कि आवेदन प्रोसेस करने की स्थिति, स्वीकृत परियोजना के ब्यौरे, जारी निधियां, पूरा होने की लक्ष्यित तारीख, परियोजना विकास समिति द्वारा परियोजना की मानीटरिंग, निरीक्षणकर्ता टीम की ओर से स्थल के फोटो/वीडियो के साथ परियोजना की वास्तविक प्रगति, प्राप्त ऋण किस्त आदि के बारे में ब्यौरे भी दिए जाएंगे।

6. आवेदनों को प्रोसेस करना और ऋण का संवितरण

केन्द्रीय वक्फ परिषद द्वारा प्राप्त ऋण आवेदनों पर कार्रवाई करने की प्रक्रिया नीचे दिए अनुसार होगीः

(i) आवेदनों पर सीडब्ल्यूसी की वक्फ विकास समिति द्वारा विचार किया जाएगा और प्रत्येक आवेदन पर अपनी सिफारिश देगी। समिति द्वारा दी गई सिफारिशों पर सीडब्ल्यूसी की बैठक में विचार किया जाएगा और आगे की कार्रवाई सीडब्ल्यूसी के निर्णय के अनुसार की जाएगी;

(ii) सीडब्ल्यूसी अनुमोदित ऋण राशि किस्तों में जारी करेगी। ऋण राशि के 50% तक पहली किस्त शुरू में जारी की जाएगी और शेष ऋण राशि संबंधित बोर्डों से उपयोग प्रमाण–पत्र और संतोषजनक प्रगति रिपोर्ट प्राप्त होने पर उपयुक्त किस्तों में जारी की जाएगी;

(iii) अनुमोदित परियोजनाओं के लिए राज्य वक्फ बोर्डों/वक्फ संस्थानों के लिए ऋण करार प्रस्तुत करना भी अपेक्षित होगा। ऋण प्राप्त करने के लिए प्रतिभूति अधिकार–पत्र या राज्य सरकार की गारंटी या बैंक गारंटी या राज्य वक्फ बोर्ड की गारंटी को जमा करने के ज्ञापन के माध्यम से प्रस्तुत की जाएगी; और

(iv) सभी अनुमोदित परियोजनाओं के लिए सीडब्ल्यूसी संवितरित ऋण राशि का 8% प्रशासनिक प्रोसेसिंग लागत के रूप में वसूलेगी और उपर्युक्त राशि ऋण राशि जारी करने से पहले राज्य वक्फ बोर्ड/वक्फ संस्थान द्वारा अग्रिम रूप से जमा करवानी होगी।

7. निधियां जारी करना

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय सीडब्ल्यूसी को दो किस्तों में सहायता–अनुदान जारी करेगा। जबकि 50% की पहली किस्त शुरू में जारी कर दी जाएगी, दूसरी किस्त उन अनुमोदित परियोजनाओं के आधार पर जारी की जाएगी जिनके लिए 75.00 लाख रु. से अधिक का ऋण स्वीकृत किया जाएगा। सहायता–अनुदान प्राप्त होने पर सीडब्ल्यूसी

जीएफआर के अधीन उचित प्रक्रिया और मार्ग–निर्देशों का पालन करते हुए संबंधित राज्य वक्फ बोर्डों/वक्फ संस्थानों को ऋण जारी करेगी। सीडब्ल्यूसी द्वारा उपयोग प्रमाण–पत्र जीएफआर में दिए प्ररूप में इस मंत्रालय को अग्रेषित किए जाएंगे। 75.00 लाख रु. तक के ऋण की छोटी परियोजनाओं के लिए सीडब्ल्यूसी अपनी चक्रीय निधि से ऋण जारी करेगी।

8. अनुमोदित परियोजनाओं की मानीटरिंग

8.1 राज्य वक्फ बोर्ड अपनी परियोजनाओं के लिए धारा 75 के अधीन राज्य सरकार की स्वीकृति प्राप्त करेगा और राज्य सरकार के अनुमोदन से एक परियोजना विकास समिति (पीडीसी) गठित करेगा। वक्फ संस्थानों की परियोजनाओं के लिए सीडब्ल्यूसी को सूचित करते हुए राज्य वक्फ बोर्ड के अनुमोदन से परियोजना विकास समिति गठित की जाएगी। पीडीसी में निम्नलिखित शामिल होंगे – (i) वक्फ बोर्ड का एक नामिति; (ii) उस इलाके का एक प्रतिष्ठित मुस्लिम; (iii) संबंधित वक्फ का मुतवल्ली; और (iv) दो विशेषज्ञ – एक वास्तुशिल्प/इंजीनियरी के क्षेत्र से और एक वित्त/प्रशासन के क्षेत्र से। पीडीसी की बैठक की अध्यक्षता संबंधित वक्फ के मुतवल्ली द्वारा या वक्फ बोर्ड के सीधे नियंत्रण की संपत्ति के मामले में वक्फ बोर्ड के सीईओ या उसके नामिति, जैसा भी मामला हो, द्वारा की जाएगी।

8.2 केंद्रीय वक्फ परिषद द्वारा योजना के लिए प्रदान की गई ऋण राशि को परियोजना विकास समिति के नाम पर इस प्रयोजन के लिए विशेष रूप से खोले गए एक बैंक खाते में रखा जाएगा। आहरण एवं संवितरण प्राधिकार परियोजना विकास समिति के दो अथवा अधिक सदस्यों में संयुक्त रूप से निहित होगा तथा इनमें से कोई भी अकेले इस खाते को प्रचालित नहीं करेगा।

8.3 मुख्य कार्यकारी अधिकारी, बोर्ड की अनुमति से तथा सीडब्लूसी को सूचित करते हुए परियोजना विकास समिति के किसी सदस्य के स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को नामित करते हुए लगा सकता है, उसे इस बदलाव का कारण भी देना होगा।

8.4 परियोजना विकास समिति के खातों को प्रत्येक वर्ष के मार्च महीने के अंत में एक योग्य लेखा परीक्षक अथवा एक चार्टेड एकाउटेंट द्वारा लेखा–परीक्षा की जाएगी तथा लेखापरीक्षित लेखाओं की एक प्रति बोर्ड एवं सीडब्लूसी को प्रत्येक वर्ष 31 मई से पहले प्रस्तुत की जाएगी।

8.5 यदि लेखा–परीक्षक द्वारा ऋण को चुकाने में त्रुटियां अथवा निधियों का गबन अथवा अपव्यय की रिपोर्ट की जाती है अथवा सीडब्लूसी के ध्यान में अन्यथा आ जाता है, तो सीडब्लूसी द्वारा शर्त 10 की उप–शर्त 10.4 एवं 10.5 के अधीन यथा अनुमेय कार्रवाई शुरू की जाएगी।

8.6 सीडब्लूसी किसी भी समय पर, यदि आवश्यक समझा जाए, परियोजना विकास समिति अथवा बोर्ड अथवा दोनों के खाते का निरीक्षण करने के लिए आदेश दे सकती है तथा सीडब्लूसी के किसी सदस्य अथवा सदस्यों अथवा इसके सचिव अथवा अन्य योग्य व्यक्ति को ऐसे निरीक्षण करने के लिए नियुक्त कर सकती है अथवा ऐसे निरीक्षण के लिए आदेश देने हेतु राज्य सरकार को निदेश दे सकती है।

8.7 सीडब्लूसी परियोजना विकास समिति को निधियों का समुचित उपयोग हेतु आवश्यक ऐसे निदेश दे सकते हैं तथा ऐसे निदेश को समझौते के भाग के रूप में समझा जाएगा।

9. परियोजना समाप्ति के लिए समय

9.1 प्रत्येक परियोजना, जिसके लिए ऋण दिया गया है, प्रत्येक मामले में निर्धारित समय के भीतर पूरी की जाएगी।

9.2 यदि प्रस्तावित परियोजना निर्धारित समय के भीतरे पूर्ण नहीं की जाती है तो सीडब्लूसी, अगर उचित माना जाता है, तो अपने विवेकाधिकार से अवधि बढ़ा सकती है।

(स्पष्टीकरण : इस शर्त के प्रयोजन के लिए परियोजना की समाप्ति का अर्थ दिए गए ऋण की किस्त का उपयोग होगा अर्थात् ऋण किस्त जारी करने की तारीख से तीन वर्ष के भीतर)

9.3 यदि समय नहीं बढ़ाया जाता है, अथवा परियोजना पूरी हुए बिना ही बढ़ाया गया समय भी समाप्त हो जाता है तो सीडब्लूसी जुर्माना अथवा भुगतान नहीं किए गए शेष ऋण पर प्रतिवर्ष 4% से अनधिक की राशि का भुगतान लगा सकती है। सीडब्लूसी द्वारा ऋण की वसूली के लिए शर्त 10 की उप–शर्त 10.4 एवं 10.5 के तहत दिए अनुसार कार्रवाई शुरू की जा सकती है, परन्तु सीडब्लूसी किसी ऋणी को मामले की परिस्थितियों के आधार पर जुर्माना लगाए जाने से छूट दे सकती है अथवा यदि जरूरी हो तो लगाए गए जुर्माने को हटा सकती है।

10. ऋण की अदायगी की शर्तें

10.1 ऋण की केंद्रीय वक्फ परिषद को सामान्यतः सोलह अर्धवार्षिक किस्तों में अदायगी की जाएगी जिसमें ऋण की अंतिम किस्त के संवितरण के उपरांत एक वर्ष की ऋण स्थगन अवधि होगी।

10.2 संबंधित ऋणी सामान्य रूप से वक्फ के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए आपसी सम्मान के रूप में, केंद्रीय वक्फ परिषद को ऋण राशि जारी करने से पहले इसके 8% की दर पर प्रशासनिक संसाधन लागत का भुगतान करेगा।

10.3 केंद्रीय वक्फ परिषद यदि किसी मामले में आवश्यक समझे, देय किस्त के भुगतान के लिए समय को आगे बढ़ा सकता है।

10.4 यदि कर्ज़ की अदायगी की 3 सत्त किस्ते बकाये में आती है, केंद्रीय वक्फ परिषद उधारदाताओं को मूलधन की राशि की देय किस्त का भुगतान करने के लिए नोटिस देने के उपरांत उधारदाताओं द्वारा ऐसे नोटिस के प्राप्त होने की तारीख के 30 दिनों की अवधि के भीतर घोषणा करेगा कि उस पर देय मूल ऋण की सम्पूर्ण बकाया राशि एकमुश्त राशि में अदा की जानी होगी।

10.5 उप–शर्त 10.4 के अंतर्गत अंतिम नोटिस की अवधि समाप्त होने के पश्चात्, केंद्रीय वक्फ परिषद ऋण करार के अनुसार ऋण की राशि की वसूली के लिए कार्रवाई कर सकता है अथवा जैसा वह प्रस्ताव करे ऐसी अन्य कार्रवाई कर सकता है।

11. योजना का कार्यान्वयन

11.1 परियोजना को किसी अर्हता प्राप्त वास्तुविद / अभियंता / विशेषज्ञ द्वारा अनुमोदित योजना के अनुसार कड़ाईपूर्वक कार्यान्वित किया जाएगा।

11.2 केंद्रीय वक्फ परिषद की पूर्व स्वीकृति के बिना अनुमोदित योजना में कोई बदलाव नहीं किए जाएंगे।

12. योजना से अर्जित होने वाली अतिरिक्त आय का उपयोग

12.1 विकसित वक्फ संपत्ति से होने वाली अतिरिक्त आय के समुचित उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए, मुतवल्ली बोर्ड अथवा संबंधित बोर्ड, जैसी भी स्थिति हो, के साथ सलाह मशविरा करके ऐसे उपयोग हेतु योजना तैयार करेगा और उसे केंद्रीय वक्फ परिषद को अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करेगा।

12.2 उपर्युक्त उप–नियम 12.1 के अंतर्गत योजना निम्नलिखित अपेक्षा पर आधारित होगीः–

(i) मुतवल्ली केंद्रीय वक्फ परिषद से प्रथम ऋण के प्राप्त होने की तारीख से तुरंत पहले विगत तीन वर्षों में संपत्ति से होने वाले आय के बराबर ही औसत राशि के समतुल्य राशि अपने लिए निकालना जारी रखेगा।

(ii) केंद्रीय वक्फ परिषद विकसित संपत्ति से होने वाली अतिरिक्त आय के 50% तक को उन प्रयोजनों के लिए उपयोग करने हेतु और मंजूरी दे सकता है जिनके लिए वक्फ का मूल रूप में सृजन किया गया था।

(iii) बकाया अतिरिक्त आय करों, अंशदान, अनुरक्षण एवं प्रशासनिक प्रभारों, अवक्षय निधि एवं लेखा–परीक्षा शुल्क की अदायगी करने के उपरांत ऐसे शैक्षणिक एवं समाज कल्याण के क्रियाकलापों पर खर्च की जाएगी जिनका कि समुदाय की बेहतरी के लिए आयोजन संभव हो।

12.3 केंद्रीय वक्फ परिषद द्वारा योजना का अनुमोदन किए जाने के पश्चात् यह संबंधित वक्फ के वार्षिक बजट का हिस्सा बन जाएगी जब तक कि केंद्रीय वक्फ परिषद के पूर्वानुमोदन से योजना में कोई बदलाव अथवा संशोधन न किया गया हो।

13. परिक्रामी निधि का सृजन एवं उपयोग

राज्य वक्फ बोर्डों/वक्फ संस्थानों की ओर से केंद्रीय वक्फ परिषद को प्राप्त ऋण की राशि परिक्रामी निधि बन जाएगी जिसका कि वक्फ निधि के अंतर्गत एक पृथक लेखाशीर्ष के अधीन खाते में हिसाब रखा जाएगा। परिक्रामी निधि का उपयोग उन शहरी वक्फ संपत्तियों के विकास के लिए किया जाएगा जिनके लिए 75.00 लाख रु. तक का ऋण अनुमोदित किया गया है।

14. कठिनाईयां दूर करना

यदि इन नियमों एवं शर्तों के उपबंधों को लागू करने में कोई कठिनाई पेश आती है तो केंद्रीय वक्फ परिषद अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के पूर्वानुमोदन से, आदेश द्वारा ऐसा प्रावधान करेगा जो इन नियमों एवं शर्तों के प्रयोजनों के समनुरूप न हो तथा इस कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक अथवा समीचीन प्रतीत होता हो।

*****